न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

पोखर आदि बनाम अश्विनी कुमार शर्मा आदि

किस्म मुकदमा प्रत्यक्ष पत्रावली मु.नं. 138 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
10/9/25	पत्रावली माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां से निर्णय दिनांक 07.08.2025 की सत्यापित प्रति के साथ प्राप्त हुई। उक्त निर्णय दिनांक 07.08.2025 के अनुसार अपील सं. 58/2025 उनवान पोखरमल आदि बनाम अश्विनी कुमार आदि में अपीलांट्स की उक्त अपील को खारिज कर पत्रावली न्यायालय हाजा में प्रेषित की है। अतः पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर हों। पत्रावली वास्ते सूचित होने उभयपक्षकारान दिनांक 17.09.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
17/9/25	पत्रावली पेश हो वकील अनुपस्थित होने उभय दिनांक 23/9/25 को पेश हो
23/9/25	पत्रावली पेश हो वकील अनुपस्थित है. वकील वादी है. पत्रावली चले उपस्थित होने उभय दिनांक 9/10/25 को पेश हो
नोट फ्रेश 9/10/25	पत्रावली से संबंधित एक वाद के वकील अपील/अपीलार्थी एवं के निधन तथा वादिगण पर पेशी के की भी वकील वादी/अपीलार्थी एवं उपा. उपखण्ड अधिकारी पत्रावली फिर से पर कोर्ट फीस का उक्त का पत्रावली को खारिज करने का निर्णय किया वकील अपीलार्थी के अपीलार्थी एवं को सुना व पत्रावली का नवीन [illegible] वकील अपीलार्थी व अपीलार्थी [illegible] पुनरीक्षण नहीं होने [illegible] दिनांक 22 के [illegible] पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

पहचानकर्ता Sunita Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:55:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर